संख्या- 43/2024/461/छप्पन-2024-98/2013

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2024

विषय: आगरा एयरपोर्ट पर नवीन सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु अतिरिक्त प्रस्तावित भूमि 92.50 एकड़ क्रय किए जाने हेतु रजिस्ट्रीकरण शुल्क एवं प्रतिलिपिकरण शुल्क आदि की धनराशि रू0 1,23,82,496/- उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 404/आर0सी0एस0-2024-ए-4/2019 दिनांक 26 मार्च, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या 213/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 06.01.2024 का उल्लेख करते हुए आगरा एयरपोर्ट पर नवीन सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु अतिरिक्त प्रस्तावित भूमि 92.50 एकड़ क्रय किए जाने हेतु रजिस्ट्रीकरण शुल्क एवं प्रतिलिपिकरण शुल्क की धनराशि रू0 1,23,82,496/- (रूपए एक करोड़ तेइस लाख बयासी हजार चार सौ छियान्नबे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, आगरा के निवर्तन हेतु प्रदान करने तथा बजट एलाटमेन्ट सिस्टम के माध्यम से बजट भी आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- सूच्य है कि शासनादेश संख्या-106/2023/1379/छप्पन-2023-98/2013 दिनांक 29 सितम्बर, 2023 द्वारा आगरा एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु अतिरिक्त प्रस्तावित भूमि 92.50 एकड़ क्रय किए जाने हेतु धनराशि रू0 1,23,59,27,574/-(रूपए एक अरब तेईस करोड़ उनसठ लाख सत्ताईस हज़ार पांच सौ चौहत्तर मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर सम्पूर्ण धनराशि जिलाधिकारी, आगरा के निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगरा एयरपोर्ट पर नवीन सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु अतिरिक्त प्रस्तावित भूमि 92.50 एकड़ क्रय किए जाने हेतु रजिस्ट्रीकरण शुल्क एवं प्रतिलिपिकरण शुल्क की धनराशि रू0 1,23,82,496/- (रुपये एक करोड़ तेईस लाख बयासी हज़ार चार सौ छियानाब्बे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि जिलाधिकारी, आगरा के निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, आगरा द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

(12) लोक सभा-2024 के सामान्य निर्वाचन हेतु आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। उक्त के आलोक में निदेशक, नागरिक उड्डयन वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते समय आचार संहिता का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में संतुष्ट हो लेंगे।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1,23,82,496/- (रू0 एक करोड़ तेईस लाख बयासी हज़ार चार सौ छियानब्बे मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, आगरा के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, आगरा द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- प्रश्नगत धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-800-दस-2023-24, दिनांक 30 मार्च, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या- 43/2024/461(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
3- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
4- जिलाधिकारी, आगरा।
5- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13.
8- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।